न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 111/2022

1 महेश कुमार पुत्र नागर
2 प्रभुदयाल पुत्र गोजु समस्त जाति महाजन निवासीगण हुक्मपुरा हाल न्यु विद्याधर नगर प्लाट नम्बर 391 महोदव मन्दिर के सामने विद्याधर नगर जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1 बेरीसाल सिंह पुत्र श्री मुकन्दसिंह जाति राजपुत निवासी हुकमपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2 महावीर पुत्र गोजु
3 रामोतार पुत्र गोजु समस्त निवासीगण हुकमपपुरा तन बामलास तहसील उदुयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल आबाद गाजियाबाद उत्तरप्रदेश।
4 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
5 उप पंजीयक गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखिलाफ आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 332/2021 उनवानी बेरीसाल सिंह बनाम महेश कुमार आदि आदेश दिनांक 03.12.2021

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री मदन सिंह गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजवीर सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 12.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 332/2021 में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 396 वाके ग्राम हुकमपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्टस बेरीसाल ने उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी वाद स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती इस आधार का पेश किया कि उक्त भूमि के 5/8 भाग पर उसका कदीमी कब्जा है जिसमें वो पशु बांधने का ढारा छप्पर बना रखा है वादी ने एक बनावटी कहानी डाक में लिखी थी उसने शामलाती भूमि से भाईयों से खरीद लिया था अपीलार्थी किशनाराम द्वारा विवाद करने पर उन्हें भी 2 लाख रूपये दिये रेस्पोडेन्टगण ने 10 लाख वगै. रजिस्ट्री कराने वगै. इन्कार किया तो और 9 लाख रूपये देकर अपलार्थीगण ने उसके नाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बयनामा नहीं करवाया तो उसके अपीलार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा एवं राजस्व रिकार्ड दुरूस्त का दावा करना पड़ा। रेस्पोडेन्ट बेरीसाल का दावा चलने लायक नहीं है उसने भूमि कदीम से कब्जे की होना लिखा उसके अतिरिक्त भूमि बाबत अपीलार्थीगण की 10 लाख रूपये देना लिखा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अपने वाद के साथ कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट भूमि का टिनेन्ट नहीं है नहीं रेस्पोडेंन्ट नम्बर 1 के नाम खातेदारी है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने दावे में 28.09.2021 को अपने दामाद से 8,00,000 रूपये दिलवोन का कथन किया है दावे के मद नम्बर 3 में दिनांक 1.12.2020 को अपीलार्थीगण द्वारा विक्रय पत्र तस्दीक करवाने के इन्कार करने पर वाद कारण लिखा ऐसा उटपटांग प्लींडिग पर गौर किये बगैर विचारण न्यायालय ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कानूनी गलती की है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट को तत्काल आवश्यकता को देखते हुये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार की जावें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। पक्षकारों के हितो का निर्धारण धारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

212 के आवेदन में उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर विचाराधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)